संख्या-06/2022/216/001-74-2-2002-001-2021

प्रेषक,

नरेंद्र सिंह पटेल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 02 मई, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में 06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान के अन्तर्गत प्रथम चार माह हेतु आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18/सेरी0/लेखा/जाग0/बजट मांग/2022-23, दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्यां-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना" हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0 52.00 लाख (रूपये बावन लाख मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह हेतु रू 17.33 लाख (रूपये सत्रह लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्निलिखित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्य पाल महोदया निम्ननलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) निदेशक, रेशम द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2022 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, रेशम द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निदेशक, रेशम द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होए उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2023 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(10) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

(11) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत की गयी धनराशि के फेजिंग कार्य की प्रगति एवं अवसर के अनुसार किया जाय, जहाँ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल स्वीकृत धनराशि के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय।

(12) स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2022 में दी गयी शर्तों/नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समयण्समय पर जारी शासनादेशों का कडाई से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सकें। यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाय, जिससे यथा संभव आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सकें और स्वीकृत धनराशि का व्यंय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

(14) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(15) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नागत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विवरावृत्ति न हो।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही हैं। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(17) आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के लिये धनराशियाँ मानक मद 58 के अन्तवर्गत जारी की जा रही है।

(18) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1/1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(19) लाभार्थियों का नाम सहित पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाइट पर निश्चित रूप प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2851001070600 (जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	010	2851001070600 जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना	18 प्रकाशन	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
2	010	2851001070600 जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना	42 अन्य व्यय	6,66,000 (रुपये छह लाख छियासठ हजार मात्र)
3	010	2851001070600 जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			17,33,000 (रुपये सत्रह लाख तैंतीस हजार मात्र)
महायोग				17,33,000 (रुपये सत्रह लाख तैंतीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

नरेंद्र सिंह पटेल
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-06/2022/216/001-74-2-2002-001-2-2021-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवनए लखनऊ।
(3) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।